

मानक परिचालन प्रक्रिया

महात्मा गांधी
प्रवासी सुरक्षा
योजना

*एमजीपीएसवाई में उपभोक्ता के नामांकन शुरू करने
के लिए आफलाइन समेकित आवेदन पंजीकरण पत्र
(एमजीपीएसवाई के अंतर्गत आफलाइन नामांकन प्रक्रिया का भाग)*

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

www.moia.gov.in

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

प्रस्तावना

ओआईएएफ खंड- 1: एमजीपीएसवाई (पीएलआईएफ) मुख्य प्रपत्र

ओआईएएफ खंड- 2: एनपीएस- लाइट - घोषणा खंड

ओआईएएफ खंड- 3: यूटीआई - घोषणा खंड

ओआईएएफ खंड -: ईसीएस/ एसआई पंजीकरण प्रपत्र

ईसीएस अधिदेश पंजीकरण प्रपत्र

एसआई अधिदेश पंजीकरण प्रपत्र

अतिरिक्त अपेक्षित दस्तावेज

नोट: इन सभी तीन साझेदारों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवेदन प्रपत्र की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए एमजीपीएसवाई में आफलाइन उपभोक्ता

नामांकन प्रक्रिया के दौरान “एमजीपीएसवाई सेवा प्रदाता” द्वारा इस एसओपी का अनुपालन किया जाना होता है।

साझेदार योजना प्रपत्रों की पूर्णता और सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए

मानक परिचालन प्रक्रिया

प्रस्तावना

यह मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक विस्तृत जांच सूची देता है जिसका अनुसरण सेवा प्रदाता द्वारा एमजीपीएसवाई योजना में उपभोक्ता के नामांकन के लिए आफसाइट शिविर में किया जाएगा। इस एसओपी में उन क्रियाकलापों का ब्यौरा दिया गया है जिनका आफसाइट कैंपों में उपभोक्ताओं के पंजीकरण के समय किया जाना आवश्यक है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रपत्रों को अपूर्ण/ सूचना नहीं देने / सहायक दस्तावेजों के न होने के कारण योजना साझेदारों द्वारा रद्द नहीं किया गया है और उपभोक्ता का पंजीकरण एमजीपीएसवाई के अंतर्गत साझेदार योजनाओं यथा पेंशन हेतु एनपीएस लाइट, वापसी और पुनर्वास के लिए यूटीआई - एमआईएस तथा बीमा के लिए एलआईसी में सुचारु रूप से और सफलतापूर्वक हो जाता है।

इस दस्तावेज में सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली अनिवार्य अनुल्लंघनीयता जांचों को उद्घृत किया गया है-

1. एमजीपीएसवाई नामांकन- ऑफलाइन समेकित आवेदन प्रपत्र (मुख्य भाग प्रथम पांच पृष्ठ)
2. एनपीएस -लाइट प्रपत्र - घोषणा और प्राधिकरण खंड (पृष्ठ संख्या छह और सात)
3. यूटीआई -म्युचुअल फंड- घोषणा खंड (पृष्ठ आठ)
4. एलआईसी आवेदन प्रपत्र - घोषणा खंड (पृष्ठ नौ)
5. एसआई/ ईसीएस अधिदेश प्रपत्र

पूर्ण रूप से भरे प्रपत्र में संबंधित साझेदार एजेन्सियों/ नियामकों द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षाएं होती हैं। सेवा प्रदाता के यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अपेक्षाएं (इस दस्तावेज में दी गयी जांच सूची के अनुसार) पूरी की जाती हैं ताकि साझेदार योजनाओं में सफल पंजीकरण सुनिश्चित हो सके।

ओआईएफ खंड- 1: एमजीपीएसवाई (पीएलआईएफ) मुख्य प्रपत्र

(चित्र)

नोट:

- इस पृष्ठ को प्रसंस्करण के लिए अग्रेषित होने से पूर्व एनपीएस- लाइट के प्रणाली सृजित प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- सेवा प्रदाता द्वारा रिकार्ड रखने के लिए इस प्रपत्र की छाया प्रति रखना चाहिए।

(चित्र)

ओआईएफ खंड -2: एनपीएस- लाइट- घोषणा खंड

(चित्र)

नोट :

- प्रपत्र के इस खंड को संसाधित करने के लिए भेजे जाने से पूर्व एनपीएस- लाइट के प्रणाली सृजित प्रपत्र के साथ पृष्ठ संख्या 6 को संलग्न किया जाना चाहिए।
- एनपीएस- लाइट प्रपत्र के साथ अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज: पासपोर्ट की प्रति (प्रथम और अंतिम पृष्ठ)

ओआईएफ खंड- 3: यूटीआई - घोषणा खंड

(चित्र)

नोट :

- इस प्रपत्र के इस खंड, पृष्ठ संख्या 7, को संसाधन हेतु भेजे जाने से पूर्व यूटीआई - एमआईएस के प्रणाली सृजित प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- कृपया पासपोर्ट की उपभोक्ता द्वारा सत्यापित छायाप्रति / यदि उपलब्ध हो तो अन्य कोई पता संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न करें।
- कृपया एसआई/ ईसीएस अधिदेश प्रपत्र की पूर्ण प्रति संलग्न करें।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि नाम, पता, बैंक खाता विवरण, राष्ट्रियता, पासपोर्ट संख्या, पीएलआईएफ संख्या यूटीआई प्रपत्र में भरा गया हो।

ओआईएफ खंड- 4: ईसीएस /एसआई पंजीकरण प्रपत्र

ईसीएस अधिदेश पंजीकरण प्रपत्र

(चित्र)

एसआई अधिदेश पंजीकरण प्रपत्र

(चित्र)

अपेक्षित अतिरिक्त दस्तावेज

- पासपोर्ट की छायाप्रति (प्रथम पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ)
- रोजगार पत्र की प्रति
- कार्य अनुमति पत्र की प्रति
- वीजा की प्रति
- तीन रंगीन फोटो